2-3-17	दोनों पक्ष के वकील उपस्थित आज SDO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 25-4-17 को पेश हो। 24-3-17 सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
23/3/17	दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। आज SDO SV मुख्यालय पर है। पत्रावली दिनांक 28/3/17 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
28/3/17	दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र जवाब हेतु दिनांक 5/4/17 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
5-4-17	दोनों पक्षों के वकील उपस्थित आज SDO साहब अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 11-4-17 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
11.4.2017	दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं.1,2 बाबूलाल ने दिनांक 25-1-17 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संपठित आदेश 7 नियम 11 CPC का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 187/ .. में प्रतिवादी सं.1 का 20/150 हिस्सा व प्रतिवादी सं.2 का 20/150 हिस्सा कुल 40/150 हिस्सा को राजस्व अभिलेख की जमाबंदी खतौनी संवत 2072 से 2075 के तहत नामान्तरकरण सं. 2675 तारीख 13-4-2016 के जरिये नगर परिषद के खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। उक्त जमाबंदी खतौनी से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं.1 व 2 के हिस्से की भूमि को विधि अनुसार आबादी में परिवर्तित कर नगर परिषद बालोतरा के खाते में दर्ज की जा चुकी है जिससे राजस्व भूमि न होने से वर्तमान वाद अदालत श्री में सुनवाई योग्य ही नहीं रहता है। जिससे वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA के तहत खारिज फरमाया जावे। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवासीय भूमि
में व्यावसायिक भूमि में दर्ज हो जाने से कारण
वर्तमान में [illegible] क्षेत्राधिकार न [illegible] पर कोई वाद
अदालत को है [illegible] खारिज फरमाया जावे।
को मय खर्चा के खारिज किया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की तरफ से पेश कर जाहिर किया कि [illegible] दिनांक 18.2.17 को [illegible] खसरा नं. 30/138 सं. 681/66 रकबा 7.10 बीघा में वादी [illegible] 30/138 हिस्सा प्रतिवादी नंबर [illegible] हिस्सा वादिनी नंबर 2 का 30/180 हिस्सा प्रतिवादी संयुक्त है भूमि [illegible] परस्परान की संयुक्त स्वामित्व खातेदारी की है।

वादी द्वारा अदालत [illegible] वाद सं. 231/2012 [illegible] को प्रतिवादीगण के विरुद्ध अदालत श्री में पेश कर रखा है जो [illegible] स्थगन आदेश प्रभावी है व सन् 2012 से लम्बित है। जिसमें यह [illegible] अदालत श्री की अनुमति के बगैर कोई भी पक्ष [illegible] भूमि बदलाव नहीं कर सकता है। बिना किसी तरह से भूमि [illegible] अदालत की अनुमति से किया गया [illegible] जिससे ऐसा बदलाव [illegible] प्रोपर्टी एक्ट के विरुद्ध होता है। प्रतिवादी सं. 1, 2 ने बिना [illegible] व शून्य होता है। प्रतिवादी सं. 1, 2 [illegible] बिना सहमति से कराके सहखातेदार व अदालत श्री की बिना सहमति से दिनांक 30.4.2016 के भूमि का नामान्तरकरण सं. 2675 [illegible] दर्ज करवा दिया गया चाहिये नगर परिषद बालोतरा के नाम दर्ज करवा दिया गया तमाम कार्यवाही को म्यूटेशन व प्रतिवादी सं. 1.2 द्वारा की गई तमाम कार्यवाही पर कोई असर होने से शून्य है। जिसका वाद पर प्रतिवादी नंबर 1,2 असर नहीं पड़ता है। निवेदन है कि प्रतिवादी [illegible] खारिज फरमाया जावे की द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चे के खारिज फरमाया जावे की कृपा करावें।

हमने प्रतिवादी सं. 1,2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 अन्तर्गत धारा 207 RTA एवं सपठित [illegible] CPC के सम्बन्ध में दोनों विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व पेश दलीलों पर मनन किया। प्रतिवादी वकील ने बहस में जाहिर किया कि भूमि की किस्म परिवर्तन होने से न्यायालय श्री को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है।

अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है भूमि की किस्म परिवर्तन होने से प्रतिवादी [illegible] वाद चलने योग्य न होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner